

राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट, कैम्प, अमरलाई

आदेश - 182/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी अमरलाई व भूअ.नि. अमाना की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार जंघोल की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान

राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम अमरलाई तहसील प.प.स. व जिला प.प.स. की जमाबन्दी सम्वत् 2070 - 2073 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को

नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	अमरलाई अमीर खालसा	313	हुकमाराज अब्राक फि हस्तीया शांतिदेवी बेका हस्तीया	हुकमाराज अब्राक फि हस्तीया शांतिदेवी बेका हस्तीया

(पीठासीन अधिकारी (भागारथ राम) लोक अदालत / कैम्प कोर्ट, कैम्प-2018 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बालोतरा)

दिनांक :- 17/3/18

संक्र :- 585/586

तहसीलदार प.प.स. को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

प्रार्थी श्री हुकमाराज अब्राक फि हस्तीया शांतिदेवी प. हस्तीया को सूचनार्थ रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी (भागारथ राम) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बालोतरा कैम्प-2018